न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक–1924–तीन / 2003 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–03–1992 पारित द्वारा अपर बन्दोबस्त आयुक्त, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक–42 / 1987–88 / अपील

.....

1– मुस0 सुगनी विधवा दादू
2– तिलकधारी पुत्र दादू
3– सरजू पुत्र दादू
4– भागवत पुत्र दादू
5– भानमती पुत्री दादू
6– मन्नी पुत्र दादू
7– छोटन पुत्र बघोलान(मृतक) वारिसान–
   1. जूकनी पत्नी स्व0 छोटन
   2. रामलल्लू पुत्र छोटन
   3. वसमतियां पुत्री छोटन पत्नी देवीशरण साहू
8– बुद्धलाल पुत्र बघोलन साहू
   निवासीगण–ग्राम कटोली तहसील सिंगरौली
   जिला–सीधी(म0प्र0)

————आवेदकगण

विरूद्ध

1– सुग्रीव पुत्र सेवक(मृतक) वारिसान–
   1. मुस0 सुगनिया पत्नी स्व0 सुग्रीव साहू
      निवासी–कटोली पोस्ट जरहा, तहसील सिंगरौली जिला– सीधी(म0प्र0)
   2. श्रीमती सुरमती देवी पुत्री स्व0 सुग्रीव साहू पत्नी काशी प्रसाद साहू
      निवासी–ग्राम सिही पोरट तियरा तहसील सिंगरौली जिला–सीधी (म0प्र0)
   3. श्रीमती शीतला देवी पुत्री स्व0 सुग्रीव साहू पत्नी श्यामलाल साहू

निवसी–जरौधा , पोस्ट खुटार तहसील, जिला–सिंगरौली(म0प्र0)

4. श्रीमती जगरनिया देवी पुत्री स्व0 सुग्रीव साहू पत्नी जवारह साहू
   निवासी–ग्राम जरौधा पोस्ट–खुटार, तहसील, जिला–सिंगरौली
5. श्रीमती फूलमती देवी पुत्री स्व0 सुग्रीव साहू पत्नी ललन साहू
   निवासी– काम पूर्व टोला पोस्ट तियरा तहसील व जिला–सिंगरौली

2– लोकनाथ पुत्र रामसुंदर

3– लखपति पुत्र पहलू

4– घनपति पुत्र पहलू

5– रामशरण पुत्र पहलू

6– रामप्यारे पुत्र पहलू

7– गोवर्धन पुत्र पहलू

8– गया पुत्र मुसई(मृतक) वारिसान–

1. फुलझारिया पत्नी स्व0 गया
2. रामलाल पुत्र गया
3. पन्नालाल पुत्र गया(मृतक) वारिसान–
   1. रामसजीवन पुत्र स्व0 पन्नालाल
   2. भगतलाल पुत्र स्व0 पन्नालाल
4. सलिता पुत्री स्व0 गया पत्नी राजेन्द्र

9– हजारी पुत्र मुसई (मृतक) वारिसान–

1. हीरालाल पुत्र स्व0 हजारी
2. राजलाल पुत्र स्व0 हजारी
3. विश्वनाथ पत्नी स्व0 हजारी
4. श्रीमती पुत्री स्व0 हजारी

   निवासीगण– ग्राम कटोली तहसील सिंगरौली
   जिला–सीधी(म0प्र0)

––––––अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री मुकेश भार्गव एवं श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अनावेकदगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15-11-17 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर बन्दोबस्त आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–03–1992 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कटोली स्थित वादग्रस्त भूमि भू–खण्ड 47 क्षेत्रफल 9.176 हैक्टेयर का नामांतरण शजरा खानदान के आधार पर किये जाने हेतु सहायक बन्दोबस्त अधिकारी सिंगरौली के समक्ष दिनांक 18.11.86 को अनावेदकगण द्वारा आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया । सहायक बन्दोबस्त अधिकारी ने उपलब्ध शजरा खानदान के आधार पर 28.10.87 को नामांतरण स्वीकार किया गया । सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपील बन्दोबस्त अधिकारी सीधी के समक्ष प्रस्तुत की गई। बन्दोबस्त अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 28/अ/1987–88 में पारित आदेश दिनांक 19.07.1988 द्वारा अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध अपर बन्दोबस्त आयुक्त, ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 42/अपील/1987–88 पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 27.03.1992 से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को यथावत रखते हुये अपील निरस्त की गई। अपर बन्दोबस्त आयुक्त, ग्वालियर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई ।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों ने तर्क प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जा रहा है।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के समक्ष नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के प्रकरण क्रमांक 7/अ–6/86–87 में इश्तहार प्रकाशन किया है, जिसमें आवेदकगण के हस्ताक्षर है। सहायक बन्दोबस्त अधिकारी ने नामांतरण नियम 27 के अंतर्गत तत्कालीन व्यक्ति को सूचना एवं सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरांत नामांतरण आदेश पारित किया है। आवेदकगण द्वारा विचारण न्यायालय में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। इसी कारण बन्दोबस्त अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर बन्दोबस्त अधिकारी ने आवेदकगण की अपील

को अस्वीकार किया है। जहॉ तक अपर बन्दोबस्त आयुक्त, ग्वालियर के आदेश का प्रश्न है, अपर बन्दोबस्त आयुक्त ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों पर विस्तार से विवेचना कर उनके समक्ष प्रस्तुत अपील निरस्त की है। इसके अतिरिक्त तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है, जिसमें हस्तक्षेप का आधार इस निगरानी में प्रकट नहीं नहीं होता । दर्शित परिस्थितियों में अपर बन्दोबस्त आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर बन्दोबस्त आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–03–1992 न्यायसंगत एवं विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,